



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

AR 013259

वाद अथवा ऋण पाया जावे या विक्रित भूमि या उसका जुज अंश द्वितीय पक्ष के कब्जा दखल से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष को इस विक्रय विलेख के आधार पर यह कानूनन अधिकार होगा कि वह अपना सम्पूर्ण विक्रय मूल्य मय बैनामा खर्चा कानूनी ब्याज के हिसाब से हम प्रथम पक्ष के जात व दीगर जायदाद से वसूलकर लेवे।

- ख- यह कि प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त सम्पत्ति को किसी अन्य को विक्रय पत्र, दान पत्र, बंधकनामा, वसीयतनामा या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है।
- ग- यह कि प्रथम पक्ष को निम्नांकित विवरण सम्पत्ति को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है तथा वे सभी अधिकार आज से इस विलेख के आधार पर द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं तथा द्वितीय पक्ष अपना नाम निम्नांकित विवरण की सम्पत्ति पर बतौर स्वामी सरकारी अभिलेखों में दर्ज करा सकते हैं जिसमें हम प्रथम पक्ष अपना पूर्ण सहयोग द्वितीय पक्ष को देगा। जिसमें हम प्रथम पक्ष व वारिससान प्रथम पक्ष को न कोई आपत्ति है और न भविष्य में कभी होगा।
- घ- यह कि निम्नांकित विवरण की भूमि पर द्वितीय पक्ष का कब्जा दखल मालिकाना दे दिया गया है।
- ङ- यह कि निम्नांकित विवरण की भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के निष्पादन दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व हम प्रथम पक्ष का है तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए हम प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- यह कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से निम्नांकित विवरण की भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है एवं वह स्वयं, उसका उत्तराधिकारी, वारिस इसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे।

Trichy
रु. 500



Bank

